

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 8/2017- Integrated Tax(Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 39/2017-Integrated Tax (Rate) dated the 13th October, 2017 vide number G.S.R. 1278(E), dated the 13th October, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2017

सं. 49/2017-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1408(अ).—एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 9/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II के खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा:-

(ii) सारणी में,-

(क) क्रम सं. 12क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“कमीशन या मार्जिन के रूप में किसी प्रतिफल के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ-राज्य को उचित दर दुकानों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा।”;

(ख) क्रम सं. 12ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ग) क्रम सं. 82 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82क	शीर्ष 9996	प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अंतर्गत या किसी राज्य अधिनियम के अंतर्गत घोषित संरक्षित स्मारक में प्रवेश के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं।"

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/173/2017 -टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 9/2017- एकीकृत कर(दर), दिनांक 28 जून, 2017 के माध्यम से सा.का.नि. 684(अ), 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार सा.का.नि. 1338 (अ.), दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के माध्यम से अधिसूचना सं. 42/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 27 अक्टूबर, 2017, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2017

No. 49/2017-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 1408(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further

amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.9/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(a) against serial number 12A, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely: -

“Service provided by Fair Price Shops to Central Government, State Government or Union territory by way of sale of food grains, kerosene, sugar, edible oil, etc. under Public Distribution System against consideration in the form of commission or margin.”;

(b) the serial number 12B and the entries relating thereto, shall be omitted;

(c) after serial number 82 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“82A	Heading 9996	Services by way of admission to a protected monument so declared under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 (24 of 1958) or any of the State Acts, for the time being in force	Nil	Nil”.

2. This notification shall come into force with effect from 15th of November, 2017.

[F. No. 354/173/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 9/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No.42/2017 - Integrated Tax (Rate) dated the 27th October, 2017 vide number G.S.R. 1338(E). dated the 27th October, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2017

सं. 46/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 1409(अ).—केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) तथा धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1), धारा 8 की उप धारा (1), तथा धारा 21 के खंड (iv), एवं खंड (v) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017 संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड II, भाग 3, उप भाग (I) में सा.का.नि. संख्या 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्न संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, -